UPBL040005092024

न्यायालय सिविल जज सी.डि. बलिया।

पीठासीन अधिकारी– (गार्गी शर्मा), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02259

मु0 नं0 305/2024

सरकार –– बनाम– अरविन्द कुमार सिंह

अ 0 सं0 199/2023

धारा 60 आबकारी अधिनियम

थाना बैरिया

जिला–बलिया

निर्णय

दिनांक 11.08.2026

1. थाना बैरिया जिला बलिया द्वारा अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत विचारण किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

2. अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र जुर्म इकबाल दिया गया। अभियुक्त को यह समझा दिया गया कि उसे सजा हो सकती है। उसके द्वारा स्वेच्छा जुर्म इकबाल करना कहा तथा कम से कम दण्ड देने की प्रार्थना की गयी।

3. अभियुक्त ने अपने बयान में स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया है। स्वेच्छा पूर्वक की गयी संस्वीकृति के आधार पर आरोपित अपराध में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

4. अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक 11.08.2026

(गार्गी शर्मा)
सिविल जज सी0 डि0
बलिया

5. पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हुई।

6. दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना गया। अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह द्वारा कथन किया गया कि '' वह मुकदमा लड़ नही सकता है । आगे से कोई गलत काम नही करेगा । कम से कम दण्ड से कम दण्ड से दण्डित करे।''

7. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अधिकतम दण्ड से दण्डित करने की याचना की गयी।

8. पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2023 से लम्बित है।

Digitally signed by GARGI SHARMA
Date: 2026.08.11 15:45:07 IST
Reason: Order
Location: CJSD Court Ballia

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त स्वेच्छा से किए गए जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त को अपने किये पर पछतावा है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अभी तक किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि आरोप दिनांक 29.05.2025 को विरचित किया जा चुका है। ग्लैमर मोटरसाइकिल नम्बर UP60Y1256 पर पीछे दो बोरी में 8 पेटी किंग फीसर बीयर कुल 192 कैन नाजायज की बरामदगी हुई । उपरोक्त वाहन अभियुक्त के नाम से है । अभियुक्त को अपने कृत्य पर पछतावा है और अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया संस्वीकृति की गयी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा आदेश में उल्लिखित किये गये कारणों के आलोक में न्यायालय के मत में अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होगा–

आदेश

मु0नं0 305/2024 अ0सं0 199/2023 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बैरिया जिला बलिया में दोषसिद्ध अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह को तुरन्त दण्ड न देते हुए धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ दिया जाता है तथा 1 वर्ष की परिवीक्षा पर इस शर्त के अधीन छोड़ा जाता है कि वह इस अवधि के दौरान सदाचरण व परिशान्ति बनाये रखेगा । अभियुक्त द्वारा इस सदाचरण व परिशान्ति भंग करने पर उसे न्यायालय द्वारा तलब कर दण्ड के प्रश्न पर पुनः सुना जायेगा ।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह बतौर प्रतिकर 5000/–रुपये राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करे । अभियुक्त द्वारा उक्त धनराशि जमा न करने की स्थिति में उसे 2 दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा ।

दिनांक 11.08.2026

(गार्गी शर्मा)
सिविल जज सी0 डि0
बलिया

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित कर उद्घोषित किया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 11.08.2026

(गार्गी शर्मा)
सिविल जज सी0 डि0
बलिया

आशुलिपिक
दिग्विजय सेन